

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-10वीं जुलाई 2019

सेवा में

द ट्रस्टी ऑफ आर्य समाज,
प्लॉट नं-05, खाता-245,
थाना-1153, वार्ड-07, तापती रोड,
जमशेदपुर।

बिषय :- मौजा-साकची, प्लॉट नं-05, खाता नं-245, वार्ड नं-07, थाना नं-1153, जिला-पूर्वी सिंहभूम, साकची, जमशेदपुर में प्रस्तावित द ट्रस्टी ऑफ आर्य समाज विद्यालय भवन हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रस्तावित स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, गोलमुरी, जमशेदपुर, से कराई गई। उनके ज्ञापांक-413, दिनांक-27.06.2019 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में उक्त प्रस्तावित विद्यालय भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्लान में दर्शाये गये संकेत चिन्हों के अनुरूप।
2. निर्मित दोनों मेन स्टेयरकेश में दस-दस हजार लीटर क्षमता वाले एक-एक अदद ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण अग्निशमन कार्य हेतु कराया जाय, ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ एक-एक डाउन कमर की व्यवस्था की जाय, जिसके प्रत्येक तलों पर 63mm डायामेटर का डिलिवरी आउटलेट एवं 30 मीटर लम्बा होजरील होज दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. निर्मित भवन के उपर 450 ली0/मि0 क्षमता का एक-एक अदद टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
4. विद्युत मेन कंट्रोल पैनल को Fire Suppression System से सुरक्षित किया जाय।
5. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जाँय।
6. भवन में प्रति 400 वर्ग फीट अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
7. स्टेज एवं मल्टिपरपस हॉल के दोनों
8. निर्मित भवन में एक ऐसे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसके हूटर की आवाज भवन के हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
9. किसी भी निकास द्वार को किसी भी परिस्थिति में कभी भी बाधित न किया जाय।
10. वर्ष में कम से कम दो बार Fire Exit Drill कराये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसमें कम से कम एक बार अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
11. किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित न किया जाय, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में Fire Tender के Movement में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
12. प्रत्येक प्रयोगशाला कमरों में 4.5 के0जी0 क्षमता का एक-एक अदद Co₂ Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
13. स्कूल परिसर में एक फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
 - i. DCP Fire Extinguisher 06 kg - 02 Nos.
 - ii. Fire Bucket - 04 Nos.
 - iii. Water CO₂ Fire Extinguisher 09 Ltr- 02 Nos.
14. यदि कम्प्यूटर रूम हो तो उसे 4.5 के0जी0 क्षमता का एक अदद Co₂ Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।

15. भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान Soft Copy में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का पूरी तरह अनुपालन करा लिया गया है।
16. अग्नि-सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेंगे।
17. भवन निर्माण के किसी भी भाग में बाद में Plan में या Nature of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके बसंतदबम अवश्य प्राप्त करेंगे।
18. विद्यालय भवन में तड़ित चालक लगाने की व्यवस्था की जाए।
19. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.2 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

SUDHIR
KUMAR VERMA

Digitally signed by SUDHIR KUMAR VERMA
DN: c=IN, o=JHARKHAND FIRE SERVICE GOVERNMENT
OF JHARKHAND, ou=JHARKHAND FIRE SERVICE
JHARKHAND RANCHI, postalCode=834002,
st=Jharkhand,
2.5.4.20=be79f6de477ab835184e26d31d3ae7ca4540
98a9de3dce9d2396ae142209edc1,
serialNumber=a1608656d983fd65dd1fa203c62f139c
c098217b1b01df01d3d83d8806cfe03e, cn=SUDHIR
KUMAR VERMA
Date: 2019.07.12 14:55:13 +05'30'

(सुधीर कुमार वर्मा)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।